

7

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

सेनानी 17वीं वाहिनी वि.स.बल.,
भिण्ड, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1825-ए/भिण्ड दिनांक 07.10.2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आक्षेप कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री चतुरी लाल, प्रधान आरक्षक 656	01	रुपये 10,679=00 (रुपये दस हजार छः सौ उन्यासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/3065 भोपाल, दिनांक 8/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

⑥

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 3934/भोपाल दिनांक 15.10.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आक्षेपक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री श्री ऋतुराज सिंह चौहान, तत्कालीन रेल्वे मजिस्ट्रेट भोपाल	01	रुपये 5,780=00 (रुपये पाँच हजार सात सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3063 भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

✓ 1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(4)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

लेखा अधिकारी,
म.प्र. विधानसभा सचिवालय,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 19792/भोपाल दिनांक 21.10.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आकष्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	1. श्री के०एल० दलवानी, अवर सचिव 2. श्री एस०एन० मटराई, सहायक ग्रेड-3 3. श्री नवाब खान, जमादार	09	रुपये 22,834=00 (रुपये बाईस हजार आठ सौ चौतिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3060भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(3)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक . / / 14

प्रति,

मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 282/भोपाल दिनांक 14.10.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बृजगोपाल राय, सहायक ग्रेड-3	11	रूपयें 16904=70 (रूपयें सोलह हजार नौ सौ चार रुपये सत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3058 भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 3867/भोपाल दिनांक 09.10.2014

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	कु० मंजु चतुर्वेदी, एस.सी.जे.एम.	02	रूपयें 3,499=00 (रूपयें तीन हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3056 भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपि:-

✓ प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

①

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 3765/भोपाल दिनांक 29.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री त्रिलोकनाथ पंचोली, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	02	रूपयें 9319=78 (रूपयें नौ हजार तीन सौ उन्नीस रूपये अठहत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3054भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(3)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1734/तीन-13-1/13 सागर दिनांक 09.10.2014

--- 000 ---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आक्खक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01	रुपये 13,824=94 (रुपये तेरह हजार आठ सौ चौबिस रुपये चौरान्वे पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3052 भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी,
मुख्य अभियंता, गंगा कछार जल संसाधन विभाग,
रीवा म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 2009-10-14-2/25976 रीवा दिनांक 17.10.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री आर०के० बढौलिया, सहायक ग्रेड-1	05	रुपये 4,235=25 (रुपये चार हजार दो सौ पैंतीस रुपये पच्चीस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3050 भोपाल, दिनांक 8/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(5)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

सेनानी 9वीं, वाहिनी विसबल,
रीवा, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र एम-10038/रीवा दिनांक 09.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री विकास पाठक उप सेनानी	06	रुपये 4,461=00 (रुपये चार हजार चार सौ इक्सठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट:- चिकित्सा देयक क्र. 06 रुपये 732/- जिसका उल्लेख सेनानी 9वीं वाहिनी विसबल रीवा के पत्र में नहीं किया गया है एवं इस पर पी.व्ही.एम.एस. नंबर अंकित नहीं किया गया है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3015 भोपाल, दिनांक 2/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

6

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

सेनानी 9वीं, वाहिनी विसबल,
रीवा, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र एम-10040/रीवा दिनांक 09.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रं0 एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री आर० 586 ललन मिश्रा,	07	रुपये 34,181=00 (रुपये चौतिस हजार एक सौ इक्यासी मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3013 भोपाल, दिनांक 2/12/2014

प्रतिलिपी:-

✓ प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(4)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

पुलिस अधीक्षक आई0टी0आई0,
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 627/भोपाल दिनांक 06.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री व्ही0डी0 चौधरी अधीक्षक	03	रूपयें 98660=00 (रूपयें अन्तयान्वे हज़ार छै: सौ साठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/3011 भोपाल, दिनांक 2/12/2014
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

पुलिस अधीक्षक रेल,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र एम-586-सी/भोपाल दिनांक 10.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रं० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री ए०एस०आई० नाथू किरकेट्टा	02	रूपयें 52,478=00 (रूपयें बावन हजार चार सौ अठहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3009 भोपाल, दिनांक 2/12/2014
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

②

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

Insurance Medical Officer
I/C, Employees State Insurance Services,
Dept. of Labour Govt. of M.P.
Ghamapur Jabalpur (M.P.) Pin Code-482002

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क./चि.देयक/14/2012 जबलपुर दिनांक 19.08.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री ए०के० चौबे, बीमा चिकित्सा अधिकारी	4	रुपये 57,491=00 (रुपये सत्तावन हजार चार सौ इन्कयान्चे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3007 भोपाल, दिनांक 2/12/2014

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

①

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

पुलिस अधीक्षक,
सागर, म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1029/सागर दिनांक 31.07.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री हनीफ खॉन, आर० 1089	4	रुपये 2,40,000=00 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कं-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3005 भोपाल, दिनांक 2/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

7

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन),
पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग),
भोपाल, म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 493/भोपाल दिनांक 22.08.2014

--- 000---

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री रोबिन फेरी, सउनि,	03	रूपयें 7824=00 (रूपयें सात हजार आठ सौ चौबिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3003 भोपाल, दिनांक 2/12/2014

प्रतिलिपि:-

✓ प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 702/भोपाल दिनांक 24.02.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बदन सिंह कुशवाह, सहायक ग्रेड-2 (सेवानिवृत्त)	16	रूपयें 20,956=00 (रूपयें बीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/3000 भोपाल, दिनांक 2/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(10)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

आयुक्त,
सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 734/भोपाल दिनांक 18.09.2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री सुशील कोठारी, सहकारी निरीक्षक	5	रुपये 5,122=00 (रुपये पाँच हजार एक सौ बाईस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट :- चिकित्सा देयक में से प्राईवेट जांच की राशि रुपये 3370/- कम की गई हैं एवं दवाईयों की राशि रुपये 1004/- पारित की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कं-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/2995 भोपाल दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिबीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(9)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

संभागीय संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें,
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 8141-42/जबलपुर दिनांक 28.08.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बाबुलाल रायकवार, भृत्य	1	रुपये 56,473=50 (रुपये छप्पन हजार चार सौ तेहत्तर रुपये पचास पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट :- भर्ती रोगी

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2993 भोपाल, दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(8)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

मुख्य अभियंता,
अपर नर्मदा जोन, बरगी हिल्स,
जबलपुर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1009/जबलपुर दिनांक 23.08.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री राजेश दुबे	1	रुपये 6032=00 (रुपये छै: हजार बत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कं-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2991भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(7)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

उपसंचालक,

जल मौसम विज्ञान, संभाग क. 1,

जल संसाधन विभाग, मैदा मिल के पास,

होशंगाबाद, रोड, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1961/भोपाल दिनांक 25.07.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना कं० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

कं०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री एम०के० सविता, स्थापक ग्रेड-3	5	रूपयें 11,510=00 (रूपयें ग्यारह हजार पाँच सौ दस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट:- चिकित्सा देयक में से अनावश्यक राशि 3515/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य
मध्यप्रदेश

पृ.कं-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2989 भोपाल, दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य
मध्यप्रदेश

6

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,
तुलसीनगर, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 112/1352/भोपाल दिनांक 22.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री केशवराव कोसे, स्हायक ग्रेड-3	14	रूपयें 43,221=82 (रूपयें तिरतालिस हजार दो सौ इक्कीस रुपये बयासी पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2987 भोपाल, दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(5)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,
प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
तुलसीनगर, भोपाल, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 112/1351/भोपाल दिनांक 22.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री केशवराव कोसे, सहायक ग्रेड-3	14	रुपये 43,799=77 (रुपये तिरतालिस हजार सात सौ निन्यावे रुपये सतत्तर पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेशपृ.कं-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/2985 भोपाल, दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0, डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(4)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,

सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मंडल,

पचपेढी, जबलपुर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 1686/जबलपुर दिनांक 30.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री कामता सिंह, मानचित्रकार	2	रूपये 13,262=00 (रूपये तेरहा हजार दो सौ बासठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2983 भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

(3)

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमंतील संतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,

ग्वालियर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 5189/ग्वालियर दिनांक 30.08.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री डी०पी०एस० यादव, व्याख्याता		रुपये 77,541=00 (रुपये सतत्तर हजार पाँच सौ इक्तालिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/298/ भोपाल, दिनांक 1/12/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 3709/भोपाल दिनांक 24.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री गिरीश कुमार शर्मा, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	1	रुपये 1,325=00 (रुपये एक हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2979 भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

①

स्पीड पोस्ट

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

इन्दौर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 5087/इन्दौर दिनांक 15.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री जे०पी० गर्ग, सेवा निवृत्त न्यायाधीश	2	रुपये 6793=00 (रुपये छः हजार सात सौ तेरान्वे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2977भोपाल, दिनांक 1/12-2014

प्रतिलिपी:-

✓ प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(3)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
खरगोन (म.प्र.)

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 3726/खरगोन दिनांक 26.07.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयके द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	1. डॉ० सी०जी० सावंले,	10	रूपयें 40,290=00 (रूपयें चालीस हजार दो सो नव्वे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
	2. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, इलेक्ट्रीशियन	39	रूपयें 70,217=00 (रूपयें सत्तर हजार दो सौ सत्तरह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
	3. श्री मुकेश गांगुले, ड्रेसर	09	रूपयें 30,956=00 (रूपयें तीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नोट:- डॉ. सी.जी. सांवले के चिकित्सा देयक क्रमांक 09 रुपये 2383/- पर सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। डॉ. सांवले के कुल चिकित्सा देयक रुपये 42673/- में से राशि रुपये 2383/- कम की गई है।

नोट:- श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के कुल चिकित्सा देयक रुपये 79172/- में से चिकित्सा देयक क्र. 21 रुपये 2861=65, क्र. 22 रुपये 2861=65 क्र. 23 पर रुपये 2861=65 क्र. 24 रुपये 2995=00 पर सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। चिकित्सा देयक क्र. 46 रुपये 144=00 आयुर्वेद चिकित्सालय में कराये गये उपचार से संबंधित है। अतः श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के कुल चिकित्सा देयक राशि रुपये 79,172=00 में से राशि रुपये 8955=00 कम किये गये हैं।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/2975 भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

②

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / 14 /

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

लेखा अधिकारी,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 16835 / भोपाल दिनांक 06.09.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3. दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	1. श्री के०एल० दलवानी, अवर सचिव	19	रूपयें 94048=00 (रूपयें चौरान्धे हजार अड़तालिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
	2. श्री नवाब खॉन, जमादार	7	रूपयें 10,639=00 (रूपयें दस हजार छः सौ उन्चालिस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि०अ० / 2014 / 2973 भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपि:-

✓ प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

⑤

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,

रायसेन, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 5756/रायसेन दिनांक 16.07.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री अमर सिंह कुर्मी, प्र०अ० प्रा०शा० ढिलवार	8	रुपये 1,55,702=00 (रुपये एक लाख पचपन हजार सात सौ दो मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2971/भोपाल, दिनांक 1/12/2014

प्रतिलिपी:-

1/ प्रभारी एम०आई०एस० डिबीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 14

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिन्वाड़ा, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 2674/छिन्दवाड़ा दिनांक 26.07.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि.-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूपयें 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री अतुल खण्डेलवाल, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश	1	रूपयें 4,47,711=00 (रूपयें चार लाख सेतालिस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि0अ0/2014/2967 भोपाल, दिनांक 28/11/2014
प्रतिलिपी:-

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम0आर0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./14/

भोपाल दिनांक / / 14

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर, म.प्र.।

विषय:- चिकित्सा देयको पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र 5332/शाजापुर दिनांक 25.08.2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013/17-मेडि-3 दिनांक 05/12/2013 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष में प्राप्त रुपये 25000/- से अधिक के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरान्त मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री गजेन्द्र ढींगरा, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	1	रुपये 44,922=00 (रुपये चवालिस हजार नौ सौ बाईस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक वापस

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड से अनुमोदित

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र-4/एम.आर./सेल-2/द्वि०अ०/2014/2965 भोपाल, दिनांक 28/11/2014

प्रतिनिधि:-

- ✓ 1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम०आर०)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 5/

भोपाल दिनांक / / 2014

प्रति,

उप संचालक,
जल मौसम विज्ञान संभाग
कमांक 1 जल संसाधन विभाग
मैदा मिल के पास होशंगाबाद रोड
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र कमांक 2425 दिनांक 16/16/2013

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री एम०के० सविता, सहायक ग्रेड-3	16	रुपयें 31,970=00 (शब्दों में रुपयें इक्तीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयकों में से अतिरिक्त एन्टीबायोटिक चिकित्सा राशि रुपयें 6486=00 कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक

राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड

से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 1/2543 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

①

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 9/04/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री डी० डी० द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश सागर [श्री डी० डी० द्विवेदी]	1	रुपयें 20026=00 (शब्दों में रुपयें बीस हजार छब्बीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2545 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम०आई०एस० डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Du
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

~~इसि~~

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

प्रधान न्यायाधीश,
कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय
जबलपुर मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 218 दिनांक 24/06/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	स्व. श्री शिवकुमार पटेल, भृत्य	5	रुपयें 61006=00 (शब्दों में रुपयें इक्सट हजार छः मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2547 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2014

जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 6/06/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री व्ही०पी० सिंह, दशम अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर	3	रुपयें 6030=00 (शब्दों में रुपयें छः हजार तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

/ /
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2549 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1 प्रभारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

/ /
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश,

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 601 दिनांक 17/06/2014


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री राकेश सनोडिया, तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	4	रुपयें 33092=00 (शब्दों में रुपयें तैंतीस हजार बयानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2551 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2221 दिनांक 30/05/2014


— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री त्रिलोकनाथ पंचोली, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भोपाल	4	रुपयें 22,573=87 (शब्दों में रुपयें बावीस हजार पांच सौ तिहत्तर सत्तासी पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2553 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1763 दिनांक 29/04/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री जयंत चव्हाण, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल मा. उच्च न्यायालय	10	रुपयें 25,921=00 (शब्दों में रुपयें पच्चीस हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक क्र. 10 रुपयें 4199=00 पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। इस देयक पर स्वीकृति नहीं दी गई है। इन देयकों पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक भोपाल के प्रतिहस्ताक्षर कराकर पुनः भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2555 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1404 दिनांक 28/03/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री संजीव कुमार सरैया, विशेष न्यायाधीश	2	रुपयें 2315=00 (शब्दों में रुपयें दो हजार तीन सौ पंद्रह मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/2557 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 7/ 2558 भोपाल दिनांक 8/8/2014
प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2138 दिनांक 26/05/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती रंजिता सिंह	3	रुपयें 29,694=00 (शब्दों में रुपयें उनतीस हजार छः सौ चौरानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

11
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 7/ 2559 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिबीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/

भोपाल दिनांक / /2014

प्रति,

संयुक्त कलेक्टर
कार्यालय कलेक्टर
जिला खंडवा मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 5551 दिनांक 28/05/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री नीरज दुबे, तत्कालीन कलेक्टर खंडवा	15	रुपयें 60467=00 (शब्दों में रुपयें साठ हजार चार सौ सड़सठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2561 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. श्री नीरज दुबे, तत्कालीन कलेक्टर खंडवा कार्यालय कलेक्टर जिला खंडवा मध्य प्रदेश म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ।

2. प्रभारी एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क. / 4 / एम.आर. / सेल-2 / द्वि.अ. / एफ 8 /
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2014

प्रबंधक (लेखा)

म.प्र. मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित
भोपाल मत्स्यबीज प्रेक्षेत्र, भदभदा रोड
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 973 दिनांक 20/06/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री एम०के० श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबन्धक	5	रुपयें 17,347=00 (शब्दों में रुपयें सत्रह हजार तीन सौ सैतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क. / 4 / एम.आर. / सेल-1 / द्वि.अ. / एफ 8 / 2563 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रमारी एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा0)
पुलिस मुख्यालय (अपराधन अनुसंधान विभाग)
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 431 दिनांक 5/07/2014

— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र0 एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र0	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	प्र.आर. रेवादास चौरे,	1	रुपयें 2074=00 (शब्दों में रुपयें दो हजार चौहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/ **2565** भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

✓
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

रजिस्ट्रार

कार्यालय म.प्र. माध्यसमि अधिकरण

विन्ध्याचल भवन भू-तल भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 378 दिनांक 11/06/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बृज किशोर शुक्ला, भृत्य	2	रुपयें 2812=96 (शब्दों में रुपयें दो हजार आठ सौ बारह छियानवे पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2567 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1 प्रभारी एम0आई0एस0 डिवाजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2014

रजिस्ट्रार
कार्यालय म.प्र. माध्यसमि अधिकरण
विन्ध्याचल भवन भू-तल भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 271 दिनांक 5/05/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री वृज किशोर शुक्ला, भृत्य	4	रुपयें 8545=23 (शब्दों में रुपयें आठ हजार पांच सौ पैतालीस तेईस पैसे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पू.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2569

भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

प्रशासकीय अधिकारी,
राज्य योजना आयोग
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 162 दिनांक 26/04/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्रीमती निर्मला सोनी, सहायक ग्रेड-2	4	रुपयें 8559=00 (शब्दों में रुपयें आठ हजार पांच सौ उनसाठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- श्रीमती निर्मला सोनी के चिकित्सा देयक 4158 में से प्राईवेट जांच की राशि 2550/- कम की गई है एवं चिकित्सा देयक क्रमांक 4 रुपयें 26,951/- निजी चिकित्सालय हजेला हास्पिटल भोपाल के पाये गये हैं इन देयकों पर स्वीकृति नहीं दी गई है। इन देयकों पर संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल (किलोल पार्क) से कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2571 भोपाल दिनांक 8/8/2014

प्रभारी एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग
भोपाल मध्य प्रदेश.

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1451 दिनांक 22/04/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री प्रदीप शर्मा, सहायक ग्रेड-2	5	रुपयें 16,897=00 (शब्दों में रुपयें सौलह हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2573 भोपाल दिनांक 8/8/2014

प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा.)
पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग)
भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 351 दिनांक 5/05/2014
— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	सुश्री राजलक्ष्मी वर्मा, सउनि-अ	1	रुपयें 3539=00 (शब्दों में रुपयें तीन हजार पांच सौ उनतालीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2575 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

आहरण एवं संवितरण अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 97 दिनांक 22/05/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री एस0 लाम्बा, निज सहायक, श्री जुगल किशोर चौधरी, सहायक ग्रेड-3, श्री निवास पटेल, सहायक ग्रेड-3, श्री रमेश पटेल, भृत्य	10	कुल रूपयें 18,827=00 (शब्दों में रूपयें अट्ठास हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2577 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1 प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 8/
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2014

लेखाधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
लेखा शाखा भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 456/14-3 दिनांक 10/06/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री बी०एस० यादव, बी.एस.एस.ओ.	5	रुपयें 62,405=00 (शब्दों में रुपयें बासठ हजार चार सौ पांच मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 8/2579 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रमारी, एम०आई०एस० डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(2)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/
 प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 भोपाल मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2863 दिनांक 16/07/2014
 — 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री सावनसिंह डाबर, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल	3	रुपयें 42,369=00 (शब्दों में रुपयें बयालीस हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
 राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
 से अनुमोदित

//

उप संचालक (एम.आर.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 9/2581 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



उप संचालक (एम.आर.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
 मध्यप्रदेश

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
होशंगाबाद मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4968 दिनांक 1/07/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री अमृतलाल बागौरा, लेबटेक्निसियन	6	रुपयें 38,367=00 (शब्दों में रुपयें अड़तीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयक क्र. 7 रुपयें 6457/- एवं क्र. 8 रुपयें 6844/- पर अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के प्रतिहस्ताक्षर नहीं है। इन देयकों पर स्वीकृति नहीं दी गई है। प्रतिहस्ताक्षर उपरांत देयक पुनः भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 9/2583 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. प्रमारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

(3)

क्र./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

जिला शिक्षा अधिकारी
कटनी मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1805 दिनांक 6/03/2014

— 000 —

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटोत्री योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, सहायक शिक्षक	1	रुपयें 1,49,750=00 (शब्दों में रुपयें एक लाख उनचास हजार सात सौ पचास मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टीप :- चिकित्सा देयकों में से पाईवेट जांच की राशि रुपयें 3950/- कम की गई है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 9/ 2585 भोपाल दिनांक 8/8/2014

1. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय की ओर आपके पत्र क्रमांक 1538 दिनांक 28/07/2014 के संदर्भ में सादर सुचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र. की ओर सादर सुचनार्थ।
3. श्री रामाधर गौतम, अध्यक्ष, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ जिला शाखा कटनी म.प्र. की ओर आपके पत्र दिनांक 25/07/2014 के संदर्भ में सादर सुचनार्थ।
4. श्री राजेन्द्र पाण्डे, सहायक शिक्षक, शा.प्रा.शा.सी.एल.पी. जिला कटनी म.प्र. की ओर सुचनार्थ।
5. प्रमारी, एम0आई0एस0 डिजीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क./4/एम.आर./सेल-2/द्वि.अ./एफ 9/
प्रति,

भोपाल दिनांक / /2014

पुलिस अधीक्षक,
जिला अनुपपुर मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा देयकों पर द्वितीय अभिमत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4005 दिनांक 15/07/2014
— 000—

मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्र० एफ-9-9-2013-सत्रह/मेडि.-1 दिनांक 5 दिसम्बर 2013 के परिपालन में निम्नलिखित शासकीय सेवक जो आपके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत हैं, के चिकित्सा देयक द्वितीय अभिमत उपरांत मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कर्मचारी के नाम के सम्मुख स्वीकृत राशि में से मध्यप्रदेश परिचर्या नियम 1958 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि को कम करते हुए भुगतान संबंधी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

क्र०	शासकीय सेवक का नाम एवं पद	देयक संख्या	स्वीकृति राशि
1.	सउनि सुग्रीव प्रसाद राय	2	रुपयें 49,000=00 (शब्दों में रुपयें उनचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न :- मूल चिकित्सा देयक
राज्य शासन द्वारा संस्थित बोर्ड
से अनुमोदित

//
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क./4/एम.आर./सेल-1/द्वि.अ./एफ 9/ 2587 भोपाल दिनांक 8/8/2014

- ✓ 1. प्रभारी, एम0आई0एस0 डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10
उप संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पंचमतल सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक-4/एम. आर./मान्यता/सेल-3/14/31

भोपाल दिनांक 8/1/2014

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.

विषय:- चिकित्सा देयक पर द्वितीय अभिमत के सम्बन्ध में।

—000—

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क. एफ 9-9-2013-सत्रह-मेडि-1. भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2013 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन किये गये हैं। छायाप्रति संलग्न है। इसे विभाग वेबसाईट www.health.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित संशोधन के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- राजपत्र की छायाप्रति (4)

(डॉ० के०एल० साहू)
संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

प.क्र./4/एम. आर./सेल-3/12/

भोपाल, दिनांक / /2014

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
2. निज सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
5. समस्त कलेक्टर म.प्र.
6. संचालक, चिकित्सा सेवायें म.प्र.

हस्ता/-
(डॉ० के०एल० साहू)
संचालक (एम०आर०)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश